संख्या-219/2016/740/22-2-2016-17(161)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किये जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, शराफत हुसैन को तमन्चों से गोली मारकर घायल किया एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी तथा एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10-09-2015 तक 14 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुका है, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी के जेल से रिहा होने पर अन्य अपराध की पूर्ण सम्भावना है, बन्दी ने जघन्य अपराध किया है इसलिए अभियुक्त का जेल में ही रहना उचित प्रतीत होता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मुरादाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आसिफ उर्फ कलवा (बन्दी संख्या-16232) पुत्र श्री इब्राहिम,, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-219/2016/740(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-219/2016/740@22-2-2016-17(161)/2016

दिनांक 03 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किये जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, शराफत हुसैन को तमन्चों से गोली मारकर घायल किया एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी तथा एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10-09-2015 तक 14 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुका है, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी के जेल से रिहा होने पर अन्य अपराध की पूर्ण सम्भावना है, बन्दी ने जघन्य अपराध किया है इसलिए अभियुक्त का जेल में ही रहना उचित प्रतीत होता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मुरादाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।